

फर्द अहकाम

शंकर लाल बनाम गुल्लाराम वगैरे

दावा 223/2-2

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.2020	<p>वकील वादी ने दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 नक्शा ट्रेस पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 30.09.2020 को पेश हो।</p>	<p>फरद नोटिस जारी 2000 to 2002 2/9/20</p>
25-9-20	<p>वकील वादी/वादी/वादी करके 21/9/2020 को प्रार्थना-पत्र पेश करके पर प्रत्यक्ष कोर्ट 30-9-20 को तलब की गई। वादी श्रीमन्तराल राम उपस्थित थे। वादी सिद्धा का प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना शक्ति सिद्ध है। वादी की पहचान की। रामजी का यौवन सुनकर कोर्ट के लीट वारी द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत सिद्ध है कि प्रार्थनापत्र में रात्री नाम होना है। वादी को आगे नहीं चलाना चाहिए। वादी/वादी करके वाद आगे नहीं चलाने पर रजिस्टर किया गया। प्रत्यक्ष कोर्ट सुनकर कोर्ट को नजर के लाने का वाद रजिस्टर करके वाद रजिस्टर करके</p>	<p>श्रीमन्तराल identifying 25/9/20</p>

67
उपस्थित अधिकारी
सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

उपस्थित अधिकारी
जयपुर हि (सांगानेर)